

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट- /2018/ 206

दिनांक: 8/6/2018

--:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-। दिनांक 31.12.2009 एवं एफ.15(1)एफ.डी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	महेश कुमार शर्मा, नर्सिंग ट्यूटर	जयपुर	29.12.90	29.12.17 27 वर्ष	L-13	L-14
2.	नैनाराम विश्नोई, नर्स प्रथम	जोधपुर	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	गिरधारी राम बटेर, नर्स प्रथम	जोधपुर	16.06.90	16.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	हरिराम ढाका, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	रामदेव देवन्दा, नर्स प्रथम	सीकर	27.12.90	27.12.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	सांवरसिंह जाट, नर्स प्रथम	सीकर	22.12.90	22.12.17 27 वर्ष	L-13	L-14
7.	शिवदयाल सिंह नेहरा, नर्स प्रथम	सीकर	04.08.90	04.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	रिछपाल सिंह, नर्स प्रथम	सीकर	26.12.90	26.12.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	पुरुषोत्तम चेजारा, नर्स प्रथम	सीकर	28.07.90	28.07.17 27 वर्ष	L-13	L-14
10.	सुशील कुमार शर्मा, नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	ओम प्रकाश शर्मा, नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	सुरेश कुमार स्वर्णकार, नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	01.07.90	01.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	किशोर कुमार तिवाड़ी, नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	22.11.88	22.11.15 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

Sd/-

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-2/2018/ 206

दिनांक: 8/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर